न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 266/2018

1. श्री अमरचन्द पुत्र पूसा जाति खटीक निवासी पुरानी मिल के सामने मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. विश्राम पुत्र भारमल जाति गुर्जर निवासी बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 14-2-20

उपस्थितः श्री रामपाल प्रजापत — प्रार्थी अभिभाषक
श्री महावीर मालाकार — अप्रार्थी सं0 1 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री रामलाल प्रजापत के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी की स्वयं की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 72/10 रकबा 02–12–00 ग्राम बड़गांव में स्थित है। अप्रार्थी सं0 1 की मौके पर कोई भी खातेदारी भूमि नहीं है तथा प्रार्थी की भूमि के लगते तीनों तरफ बिलानाम जमीन है जिसका मालिक अप्रार्थी सं0 2 है तथा प्रार्थी की जमीन के सामने बड़गांव से डीडवाड़ा रोड़ स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की जोत को लेकर अप्रार्थी सं0 1 आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है तथा कहता है कि तेरी जमीन के लगते ही जो तहसील की जमीन है उस पर मैरा कब्जा है, जबकि प्रार्थी की जमीन के लगते ही अप्रार्थी सं0 1 की कोई जमीन नहीं है तथा प्रार्थी की जमीन से अप्रार्थी सं0 1 का कोई लेना देना नहीं है। प्रकरण कारण दिनांक 22.07.2018 को जब प्रार्थी अपने खेत पर फसल की रखवाली करने गया तब

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीसं0 1 ने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि तू जमीन की देखभाल करने आया तो जान से मार दूंगा तथा गाली गलौच की गई। प्रार्थी द्वारा अंकित किया कि अप्रार्थी सं 1 को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी अपनी स्वयं की खातेदारी की भूमि से सदैव के लिए महरूम हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने तथा अप्रार्थी सं0 2 को अप्रार्थी सं0 1 को अलॉटमेन्ट नहीं करने हेतु ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री देवकरण गुर्जर/महावीर मालाकार द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 03.12.2019 को उनका जवाब बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की एक खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 की मौके पर कोई भी खातेदारी भूमि नहीं है तथा प्रार्थी की भूमि के लगते तीनों तरफ बिलानाम सरकारी जमीन है जिसका मालिक अप्रार्थी सं0 2 तहसीलदार है तथा प्रार्थी की जमीन के सामने बड़गांव से डीडवाड़ा रोड़ स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की जोत को लेकर अप्रार्थी सं0 1 आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है तथा कहता है कि तेरी जमीन के लगते ही जो तहसील की जमीन है उस पर मैरा कब्जा है, जबकि प्रार्थी की जमीन के लगते ही अप्रार्थी सं0 1 की कोई जमीन नहीं है तथा प्रार्थी की जमीन से अप्रार्थी सं0 1 का कोई लेना देना नहीं है।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी को अपने पक्ष में विरचित अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है–(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णनीय क्षति

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

5.1 प्रथम दृष्टया मामला– इस बिन्दु का भार प्रार्थी पर था प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या नया 160 पुराना 135 में खसरा नम्बर 72/10 रकबा 02–12–00 भूमि अमरचन्द पुत्र पूसा कौम खटीक की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है एवं यह कानून का स्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार को ही प्रथम दृष्टया कब्जेदार माना जायेगा जब तक अन्यथा सिद्ध न किया जाये। अप्रार्थी उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार नहीं है। अतः प्रार्थीगण को उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला उनके हक में सिद्ध होता है। उक्त भूमि प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि है एवं अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है एवं न ही अपना कब्जा सिद्ध किया है। अतः उक्त बिन्दू बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सिद्ध है।

5.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति– उक्त दोनो बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। सुविधा कि दृष्टि से उक्त दोनो बिन्दुओ का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा शपथ पूर्वक यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उनके रिकार्डेड खातेदारी भूमि में काश्त करने में बाधा उत्पन्न कराई जा रही है। यदि प्रार्थी को उनकी आराजी में काश्त करने से रोका गया तो उन्हे अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सिद्ध होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 को मूल वाद के निर्णय तक ग्राम बड़गांव स्थित प्रार्थी की एक खातेदारी भूमि ख0नं0 72/10 रकबा 02–12–00 भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.2.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.04.08 11:11:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: